# <u>सद्भाव समझौता (Memorandum of Understanding)</u>

यह सद्भाव समझौता आज तारीख _______________ इस दिन पक्ष (1) सहायक ट्रस्ट और पक्ष (2) __________________________________ के बीच निष्पादित किया जाता है ।

पक्ष(1) सहायक ट्रस्ट, एक शैक्षणिक ट्रस्ट के तौर पर पंजीकरण संख्या E9804 तारीख 27 मार्च 1984 और मुंबई में पंजीकृत की गई है , इस समझौते मे सहायक ट्रस्ट एक 'ज्ञान / प्रशिक्षण देने वाली संस्था के तौर पर कार्य करेगी अंतः किसी भी अभिव्यक्ति इसका कोई अलग अर्थ संदर्भित ना किया जाये, सहायक ट्रस्ट की यही पहचान होगी, यह माना जायेगा ।

पक्ष (2 ) ____________________________________________यह संस्था है ।

जिसका पंजीकरण ___________________ है, और पंजीकरण तारीख _________और ______________ ____में पंजीकृत की गई है । (यह इस कार्यक्रम को कार्यान्वयन करने वाली संस्था के तौर पर सहभागी होगी और इस समझौते को अनुकूल रहकर मंजुरी मिली है ऐसे माना जायेगा|)

इन दोनों संस्थाओं के बीच चर्चा और विनिमय से मंजूर शर्तों और नियमों को पंजीकृत करने के लिये यह सद्भाव समझौता किया गया है ।

**पृष्ठभूमी :**

पोषक आहार की कमी से होने वाला एनीमिया यह हमारे देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। भारत में 6 से 59 महीने के 59% बच्चे और 15 से 49 वर्ष की 53% वयस्क महिलाएं हल्के और मध्यम या दोनो एनीमिया से पीड़ित हैं (NHFS- 4)। विश्व आरोग्य संघटन ने 2011 साल से प्रसिद्ध किये हुवे "ग्लोबल प्रेवेलंस ऑफ एनीमिया" इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 6 से 59 महीने के बच्चों और 15 से 49 उम्र की किशोरवयीन और सभी महिलाओं सहित भारत का दर्जा 40 से 59% की श्रेणी में है। भारत में 20% माता मृत्यू सीधे एनीमिया की वजह से होती है और 20% से 30% माता मृत्यु के लिये अप्रत्यक्ष रूप से एनीमिया ही जिम्मेदार है। और पिछले पांच दशकों से यह आंकड़े लगभग अपरिवर्तित रहे हैं। एनीमिया की वजह से बच्चों के संज्ञानात्मक और समग्र विकास पर परिणाम होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को कई संक्रमणों के लिए उजागर करता है। एनीमिया मानव जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है इसके सिवाय अप्रत्यक्ष रूप से वार्षिक समग्र उत्पन्न तथा अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पार परिणाम कर रहा है और इस वजह से देश के विकास पर भी परिणाम कर रहा है। पोषक आहार की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने और ठीक करने के लिए तरह तरह की सब्जियों का नियमित सेवन करना एक सर्वमान्य उपाय है। इसीलिए पोषक आहार की कमी से होने वाले एनीमिया से लड़ने

के लिये एक छोटा सा जैविक पोषक परसबाग (Organic Kitchen Gardens for Nutrition – OKGN) बनाना एक सरल, पर्यायी , योग्य, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और स्थायी समाधान है।

स्कूल जाने वाले बच्चों को अच्छी तरह से विकसित करने और अध्ययन करने, रोग से सुरक्षा के रूप में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और दिन भर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक पौष्टिक और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अपने वर्तमान और अपने भविष्य की खातिर, उन्हें न केवल अच्छी तरह से खाने की जरूरत है, बल्कि यह भी सीखना है कि उपयुक्त पोषण युक्त भोजन कैसे खाएं और रासायनिक विषाक्त पदार्थों के बिना इसे कैसे विकसित किया जाए। स्कूल में ही यह कौशल प्रदान किया जायेगा तो जैविक पोषक परसबाग मिलने से वाली सूक्ष्म पोषक तत्वों वाली सब्जियों के साथ स्कूल के भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ा सकती हैं।

पिछले कई सालो से कई सामाजिक संस्थाये, स्वयंसेवी संस्था, शासकीय संस्था जगह जगह पर संघटना पोषक आहार की कमी से होने वाले एनीमिया का मुकाबला करने के लिए रणनीती कर रही हैं। सहायक ट्रस्ट खास कर ग्रामीण आबादी के लिए टिकाऊ, लागत प्रभावी और पौष्टिक खाद्य आपूर्ति बनाने के लिए ऐसे संगठनों को जैविक पोषण परसबाग (ओकेजीएन) के माध्यम से विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने में लगा हुआ है। 2016 से, सहायक ट्रस्ट संस्थाओं, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, समुदाय के प्रतिनिधियों को जैविक पोषण परसबाग/ OKGN को विकसित करने का प्रशिक्षण दे रही है।

जैविक पद्धति से उत्पादित खाद्य पदार्थों के बहोत आरोग्यदायी एवं पोषणयुक्त फायदे होते है। जैसे यह अन्न पदार्थ कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों जैसे जहरीले रसायनों से मुक्त होते है, यह और आवश्यक होने के बावजूद इसके लिए जो ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है जो अधिकांश लोगों के पास उपलब्ध नहीं है।

सहायक ट्रस्ट जैविक पोषक परसबाग के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण के सुरक्षित अभिसरण के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसने पोषक बाग के माध्यम से एचबी के स्तर को बढ़ाकर सकारात्मक परिणाम देखने हैं। जनवरी 2016 में, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में इस एजेंडे को आगे ले जाने के लिए, साझेदार संगठनों को जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विदर्भ के अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ साझेदारी कर एनीमिया फ्री विदर्भ फोरम (AFVF) की स्थापना की गयी थी।

आगे जाकर विभिन्न राज्यों के कई अन्य संगठनों ने भी इस मिशन में शामिल होने की इच्छा दिखाई और इसलिए एनीमिया फ्री इंडिया फोरम (Anaemia Free India Forum - AFIF) का गठन किया गया है। एनीमिया फ्री इंडिया फोरम (AFIF) यह एनीमिया मुक्त भारत हो इसलिए कोशिश कर रहे सभी संस्था और संगठनो से बना हुवा है। सामुदायिक विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए काम करने वाले किसी भी GO, NGO या CBOs जैसे स्वयं सहायता समूह, युवा समूह, आध्यात्मिक समूह यानी, जो भी इस दृष्टि को साझा करता है, वह इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिला सकता है। सहायक ट्रस्ट कार्यक्रम

का समन्वय कर रहा है और अपने संबंधित क्षेत्रों में काम करने के लिए OKGN पर प्रमाणित प्रशिक्षक का एक कैडर विकसित करके साझेदार गैर सरकारी संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

सहायक ट्रस्ट ने अपने वित्तीय और बौद्धिक संसाधनों को स्कूलों, घरों के आसपास या खेतों में OKGN के विकास के लिए शैक्षणिक सामग्री, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पद्धति विकसित करने के लिए निवेश किया है। जो संस्थान उनके कार्यक्षेत्र में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए निर्धारित कौशल प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, उन संगठनों और संस्थानों के लिए सहायक ट्रस्ट ज्ञान और प्रशिक्षण देने वाली साझेदार संस्था के रूप में काम करेंगी। और इस कार्यक्रम को कार्यान्वियन करने वाली साझेदार संस्था जैसे स्कुल, आश्रम स्कूल, समुदाय, आंगनबाड़ी इनमे से किसी भी समूह के साथ OKGN निर्माण का काम कर सकती है।

ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चों की तरफ खास ध्यान देने के लिये , पोषक आहार की कमी से होने वाले सौम्य तथा मध्यम प्रकार के एनीमिया को हराने के लिये एनीमिया मुक्त भारत इस फोरम में सहभागी होने की तैयारी ________________________ इस संस्थाने दिखाई है। इस अंदाज से ज्ञान और प्रशिक्षण देने वाली संस्था के रूप में सहायक ट्रस्ट और इस कार्यक्रम को कार्यान्वियन करने वाली साझेदार संस्था की भूमिका और जिम्मेदारियां आज दे रहे है ।

प्रस्तुत सद्भाव समझौता यह स्कुल, आंगनबाड़ी, आश्रम स्कुल, आरोग्य केंद्र तथा ऐसी विविध संस्थाओं के बीच हुई दोनो संस्था ओ की आम सहमति के अनुसार समय समय पर किये गये व्यवस्था का विवरण है ।

## दोनो पक्ष नीचे दिये विवरण के अनुसार काम करेंगे ।

1. **प्रशिक्षण:**

सहायक ट्रस्ट इस कार्य को कार्यान्वय करने वाली स्वयंसेवी संस्था, स्कुलो, आश्रम शालाओं, आंगनबाड़ियों और समुदायों में OKGN के निर्माण के लिए आवश्यक क्षमता को विकसित करने में निरंतरता बनाये रखने के लिये और निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित कर प्रमाणित करेगा।

इस कार्यक्रम को आगे बढाने के लिये कार्यान्वय करने वाली साझेदार संस्था इस सद्भाव समझौते के अनुसार दोनों संस्थान (प्रशिक्षण और कार्यान्वियन करनेवाली साझेदार संस्था) मंजूर की गई योजना के अनुसार कार्य शुरू करेगी। कार्यान्वियन करने वाली संस्था अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ता की मदद से संस्था के अन्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण देकर तैयार कर सकती है, अथवा सहायक ट्रस्ट द्वारा प्रमाणित किये हुए व्यक्ति को प्रशिक्षण देने के लिये आमंत्रित कर सकती है।

**2. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers- TOT):**

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधित जिल्हा / क्षेत्रों में 25 से 30 प्रतिभागियों के गुट (बैच) में आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण यह कार्यान्वयन करने वाली भागीदार संस्था एवं सहायक ट्रस्ट द्वारा तय की जाने वाली उपयुक्त सुविधा के अनुसार आयोजित किया जाएगा। कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था के प्रशिक्षकों के लिए तथा जो लागत का वहन नहीं कर सकते उनके लिए यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। कार्यान्वय करनेवाली भागीदार संस्था अपनी सुविधा और पहूच के अनुसार इस प्रशिक्षको के प्रशिक्षण में 2 से 4 प्रशिक्षको को भेज सकता है जो भविष्य में अच्छा प्रशिक्षक बन सकता है । अगर महाराष्ट्र में वर्धा के केंद्र में TOT हो तो निवास और खाना निःशुल्क होगा, लेकिन प्रशिक्षको ते अपने यात्रा की लागत खुद को वहन करनी होगी, लेकिन वर्धा के बाहर कार्यान्वयन करनेवाली वाली संस्था व्दारा प्रशिक्षण केंद्र चुना गया हो तो प्रशिक्षक का निवास, खाना और यात्रा का 50% खर्चा कार्यान्वयन करनेवाली संस्था को वाहन करना होगा । यदि प्रतिनिधी साझेदार संस्था का कर्मचारी नहीं है, तो उस प्रतिनिधी को प्रशिक्षण के लिये योगदान देना होगा। इस प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में अपेक्षित गुणवत्ता और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक कठोर प्रक्रिया होगी। सहायक ट्रस्ट द्वारा नामित विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण के बाद प्रमाणपत्र वितरित किया जायेगा।

**3. प्रशिक्षण के आयोजन के लिये आवश्यक प्रशासनिक अनुमत:** (यह केवल स्कूलों, आंगनबाड़ियों, आश्रम शालाओं आदि के लिए जहां बाहरी अनुमतियों की आवश्यकता होगी)

सहायक ट्रस्ट कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्थाओको प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करने में सहकार्य करेगी । यदि कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था को यह सहकार्य चाहिये होगा तो उस संस्था ने अपनी प्रशिक्षण योजना को कम से कम 45 दिन पहले सहायक ट्रस्ट के सामने प्रस्तुत करनी होगी।

**4. प्रशिक्षण और निगरानी की अनुसूची:**

कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था को प्रशिक्षणों का एक कैलेंडर बनाना आवश्यक होगा ।नियोजित प्रशिक्षण का कॅलेंडर और वितरित किए गए प्रशिक्षणों के घटनाओ की रिपोर्ट समय समय पर सहायक देना ट्रस्ट अनिवार्य है यह जानकारी किस प्रारूप देनी है इसका नमूना सहायक ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जायेगा।

**प्रशिक्षण का अभिप्राय (Training Feedback)** : कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के 7 दिनों के भीतर सहायक ट्रस्ट को फीडबैक फॉर्म जमा करना चाहिए। उसके बाद 30 दिनो के भीतर सहायक ट्रस्ट प्रतिक्रिया डेटा का विश्लेषण साथी के साथ साझा करेगा और यदि कोई सुधार हो तो उसे टिप्पणियों और सुधार के लिए गुंजाइश के साथ, प्रस्तुत करेगा। कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था ने सहायक ट्रस्ट को अपना तीन महिने का त्रैमासिक कार्रवाई / प्रगति रिपोर्ट सहायक ट्रस्ट ने निर्धारित किये रेखांकित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो सभी AFIF भागीदारों के लिए इस डेटा को एकत्रित कर सभी को उपलब्ध कराएगा।

कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था स्कूलों, आंगनबाड़ियों, आश्रम शाला और समुदाय के साथ निरंतर संचार सुनिश्चित करने के लिये तालुका के स्तर पर WhatsApp या कोई अन्य ग्रुप बनायेगा। सहायक ट्रस्ट समय-समय पर इन समूहों पर पोस्ट की जाने वाली सही शिक्षण सामग्री प्रदान करके सहकार्य करेगा।

**5. प्रशिक्षण के जरुरी सामग्री:**

सहायक ट्रस्ट प्रशिक्षण का ध्येय क्रिया में परिवर्तित होते हुए देखने के लिये उत्सुक है और ऐसा होने के लिये सुविधा प्रदान करता है:
यह प्रत्यक्ष रूप में आने के लिये सहायक ट्रस्ट ने विकसित किये हुये प्रशिक्षण सामग्री के उत्पादन और वितरण के लिये ग्रीन अर्थ ट्रेडिंग प्राइवेट के साथ कुछ व्यवस्था की है
स्कूल और आश्रम शाला के लिये प्रशिक्षण किट जिनमें निम्नलिखित साहित्य शामिल होंगे।

1. प्रशिक्षण पुस्तिका
2. दृकश्राव्य साहित्य (Audio Visual materials)
3. 150 वर्ग फुट के एक किचन गार्डन को शुरू करने के लिए 12 किस्मों के बीज का पूरक पैकेट।

स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण किट जिनमें निम्नलिखित साहित्य शामिल होंगे ।

1. फ्लिप चार्ट
2. A 4 साईज के दो लीफलेट (Leaflet)

कार्यान्वयन करनेवाली भागीदार संस्था को अपने स्वयं सहायता गुट के लिये आवश्यकता नुसार प्रत्येक सदस्य को कम से कम 12 किस्म के बीज मिल पाये इसकी व्यवस्था करनी होंगी, इसलिये स्थानिक स्तर इन बिजो जुटाकर वितरित करने होंगे।
प्रशिक्षक का प्रशिक्षण का खर्चा संभाल सके और कार्यान्वयन करने वाले साझेदार संस्था को लिये गये प्रशिक्षण का खर्चा मिले इसलिये प्रशिक्षण सामग्री के मूल्य निर्धारण का उद्देश्य साझेदारों को लागू करने के लिए एक मार्जिन छोडा है इससे उनके द्वारा संचालित प्रशिक्षणों की लागतों को पूरा करने में मदद मिल सके। इस व्यवस्था के स्थिरता के वास्ते मूल्य निर्धारण को समय-समय पर सहायक ट्रस्ट द्वारा ग्रीन अर्थ के साथ तय किया जाएगा ताकि सभी पक्षों के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।
स्कूलों / आंगनबाड़ियों / आश्रम शालाओं / समुदाय को प्रशिक्षण सामग्री और मूल्य की लागत इस सद्भाव समझौते के साथ दिये हुवे परिशिष्ट में दी गई है। कार्यान्वयन करने वाले साझेदार संस्था को कोई तकलीफ ना हो इसलिये प्रत्येक राज्य में कीमतों को मानकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि प्रशिक्षण सामग्री की कीमत अलग-अलग जिलों और एक ही राज्य के विभिन्न साझेदार संस्था द्वारा भिन्न ना रह सकें।

**6. ब्रांडिंग:**

1. बैनर की डिजाइन सहायक ट्रस्ट द्वारा दी जाएगी, जिसमें सहायक ट्रस्ट और AFIF के साथ कार्यान्वयन करने वाले साझेदार संस्था का लोगो होगा। अगर शिक्षा विभाग या संस्थान जो प्रशिक्षण में सहभागी हो तो वे अपना नाम और लोगो चाहते हो तो इस बैनर में जोड़ा जा सकता है।

2. संसाधन सामग्री - साझेदार संस्था अपना लोगो सही तरीके से प्रशिक्षण पुस्तिका पर जोड़ सकता है।

3. अगर कार्यान्वयन करने वाले साझेदार संस्था बीज पैकेट्स बाट रही है तो उस पैकेट पर कार्यान्वयन करने वाली संस्था की खुद की मुहर होगी ।
4. स्कूलों में प्रशिक्षण के बाद दिये जाने वाले प्रमाणपत्र: सहायक ट्रस्ट द्वारा प्रमाणपत्र डिजाइन दिया जाएगा जिसमें सहायक ट्रस्ट और AFIF के साथ कार्यान्वयन करने वाले साझेदार संस्था का लोगो होगा।

**7. संचार/प्रसार माध्यम**

किसी भी समाचार पत्र या किसी भी संचार / प्रसार माध्यम मे संभाषण सहायक ट्रस्ट और कार्यान्वयन करने वाले साझेदार संस्था दोनो के संयुक्त नाम से संचार / प्रसार करना चाहिए।

**8. भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:**

**अ. ज्ञान और प्रशिक्षण देने वाली संस्था सहायक ट्रस्ट के तौर पर**

1. प्रत्येक कार्यान्वयन करनेवाली साझेदार संस्था को जैविक पोषक परसबाग, स्वास्थ्य और पोषण, बीज संरक्षण और संग्रहण और खाद उत्पादन पर आधारित प्रशिक्षण सामग्री (प्रशिक्षण पुस्तिका, फ्लिप चार्ट, दृश्यश्राव्य साहित्य) का कम से कम एक सेट देना है ।
2. प्रशिक्षण सामग्री लिखित और दृश्य श्राव्य दोनो रूप में होगे। उसे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक और मास्टर ट्रेनरों के लिये विकसित किया जायेगा, इनकी मदद से वे अन्य प्रशिक्षकों और अंतिम लाभार्थियों को सक्षम करने के लिए, प्रशिक्षित कर सकते है।
3. जैविक पोषक परसबाग संबधी ज्ञान, कौशल, और नया दृष्टीकोन इस संबधी कोई भी नयी जानकारी सोशल मीडिया, कार्यशालाओं, सेमिनार आदि के माध्यम से आदान प्रदान करना।
4. सूचना प्रबंधन : जानकारी का संग्रह, जानकारी का विश्लेषण और प्रसार के लिए प्रारूप और कार्यप्रणाली प्रदान करना।
5. अगर कार्यान्वयन करने वाले साझेदार संस्था द्वारा अपने अनुरोधित अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण की जरूरत हो और सहायक ट्रस्ट के पास प्रशिक्षकों की उपलब्धता हो तो पूर्ण रूप से भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण देना होगा ।

6. जब सहायक ट्रस्ट स्वास्थ्य, कृषि और आजीविका के क्षेत्रों में अतिरिक्त पाठयक्रम और कार्यप्रणाली विकसित करता है, तब अगर कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था संतोषजनक रूप से अपने नीचे दी हुई प्रतिबद्धताओं का निर्वहन करती है तो उन्हे भी इन विषयों पर प्रशिक्षण सहायक ट्रस्ट द्वारा दिया जा सकेगा।

**ब. कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था के तौर पर**

1. किसी भी विषैली रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों के उपयोग के बिना जैविक सिद्धांतों पर जैविक पोषक परसबाग विकसित करना ताकी बिन विषैली स्वस्थ भोजन सुनिश्चित हो सके।
2. लोगों ने जितना हो सके उतना विविधता से पूरक खाना खाये और संतुलित पोषण आहार हो यह सावधानी लेना।
3. इस कार्यक्रम की प्राथमिकता, परिवार, उन्हें मिलने वाला पोषक आहार और पारिवारिक स्वास्थ्य यही है, जैविक पोषक परसबाग द्वारा उत्पादित खाद्य का इस्तेमाल पहले स्वयं के लिये किया जाये, या शैक्षणिक संस्थानों में इन उत्पादों का इस्तेमाल छात्र के खानपान के लिए होगा इसकी सावधानी लेनी होगी, उत्पादन बिक्री के लिए नहीं।
4. लाभार्थियों को बीज खरीदने, उसे बढ़ाने तथा विनिमय करने के लिए प्रोत्साहित करके बीज बैंकिंग को बढावा देना, इस तरह हम इस अभियान की स्थिरता को सुनिश्चित कर सकते है।
5. प्रशिक्षण खत्म होने के तुरंत पहले या तुरंत बाद जैविक पोषण परसबाग का प्रचार करने की योजना / कार्यक्रम को तैयार करना होगा और यह जानकारी प्रशिक्षक सहभागी संस्था सहायक ट्रस्ट को देनी होगी।
6. जैविक पोषक परसबाग संबधी गतिविधियों के समन्वय के लिए और सहायक ट्रस्ट के साथ संचार की सुविधा के लिए संगठन/ संस्था के एक प्रमुख व्यक्ति को नियुक्त करेगी। यही व्यक्ती आगे तिमाही मीटिंग तथा वार्षिक (मंथन) सम्मेलन में अपने खर्चे पर संस्था का प्रतिनिधित्व करेगा / करेगी।
7. प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के बाद जैविक पोषक परसबाग का प्रसार और अपने स्वयं के कर्मचारियों / स्वयंसेवकों द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर अपने संस्था के क्षेत्रों में करेंगे। कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था अपने स्वयं के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए अपने मास्टर ट्रेनरों द्वारा सहायक ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए प्रशिक्षण साहित्य का उपयोग करेगा ताकि यह ज्ञान आम लाभार्थियों तक ले जा सके।
8. इस पूरे कार्यक्रम का लाभार्थियों को होने वाला उपयोग और गुणवत्ता जांच करणे के लिये कार्यान्वयन करने वाले साझेदार संस्था लाभार्थियों की पूर्व जांच तथा सीमित अवधि के बाद पुनः स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी यह स्वास्थ्य की जांच के एचबी और वजन की जांच के माध्यम से की जा सकती है (छह महीने में एक बार)
9. कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने के लिये और नमुना अध्ययन करने के लिये और नमुना अध्ययन करने के लिये, एक उपयुक्त नमूनाकरण मॉडल कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था और सहायक ट्रस्ट द्वारा मिलकर तैयार की जाएगी।
10. नियमित रूप से जानकारी जमा करना और उस जानकारी को वितरित करने के लिए सरल और व्यावहारिक प्रणाली बनाना, और यह जानकारी सहायक ट्रस्ट साथ साझा करना।

जैविक पोषण परसबाग यह सभी के लिए ताजी सब्जियों की पर्याप्त और निरंतर आपूर्ति का आश्वासन देती है। इसकी वजह से महिलाओं और बच्चों के एचबी में सुधार होता है, पोषण की कमी की वजह होने वाले एनीमिया से निपटते हुए भारत को एनीमिया मुक्त करने के लिए नियमित रूप से विविधता पूरक सब्जियों के विविध मिश्रण का उपयोग करना, सबसे अच्छा , सबसे कम लागत वाला प्रभावी और शाश्वत तरीका है। भारत को एनीमिया मुक्त करना यह ज्ञान ज्ञान प्रशिक्षण साझेदार के रूप में सहायक ट्रस्ट और कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था इन दोनो ने सामाजिक प्रतिबद्धता से ली गयी जिम्मेदारी है ।

इस सद्भाव समझौता पर दोनों दलों ने अपने यहां मौजूद गवाहो के
सामने ____________ महिने में _____ दिन, _________साल पर हस्ताक्षर किए हैं।

कार्यान्वयन करने वाली साझेदार संस्था के लिये

नाम:

पदनाम:

पता:

कार्यालय सील:

हस्ताक्षर :

ज्ञान और प्रशिक्षण देने वाली संस्था के लिए:

नाम: श्रीमती दिलनवाज़ वारियावा

पदनाम: मैनेजिंग ट्रस्टी, सहायक ट्रस्ट

पता: 32 मुंबई, समचार मार्ग, मुंबई 400023

कार्यालय सील:

हस्ताक्षर :

# सद्भाव समझौता परिशिष्ट -1

1. इस परिशिष्ट में मूल्य निर्धारण और शर्तों का विवरण है । जब तक कि कॉपीराइट धारक रूप में सहायक ट्रस्ट और ग्रीन अर्थ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड सामग्री के निर्माता और वितरक के रूप में लिखित शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तब तक इसके बाद भी लागू रहेगा।
2. कार्यान्वियन करनेवाली साझेदार संस्था प्रती किट 150/- रुपये और परिवहन (Transportation) इसके लिये ग्रीन अर्थ ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड को भुगतान करेगा। आगे स्कूलों, आश्रम शालाओं, आंगनबाड़ियों और समुदाय को 250/- रूपये में देगा । सभी स्कूलों, आश्रम शालाओं, आंगनबाड़ियों और स्वयं सहायता समुहो के लिए यह निर्धारित दर है।
3. समुदाय या स्वयं सहायता समुहो में यह कार्यान्वियन करने वाली साझेदार संस्था फ्लिप चार्ट के लिये 100/- रुपये और विवरणिका (Leaflet) के लिये 7/- रुपये ग्रीन अर्थ ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड को भुगतान करेगा। आगे किसी व्यक्ति या स्वयं सहायता समूह को यह ज्यादा से ज्यादा फ्लिप चार्ट 200/- रुपये और विवरणिका (Leaflet) 10/- रुपये में ही देगा । कार्यान्वियन करनेवाली साझेदार संस्था स्वयं सहायता समूह की मांग और आवश्यकता नुसार स्थानिक स्तर पर कम से कम 12 किस्मों के बीज या पौधे को उपलब्ध कर वितरित करेगा । जिनकी किंमत स्थानिक बाजार की कीमत से कम और सस्ती हो । इस बीज की गुणवत्ता और ब्रँण्डिंग कि जिम्मेदारी कार्यान्वियन करने वाली साझेदार संस्था कि होंगी ।
4. ग्रीन अर्थ ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड द्वारा शर्तो के अनुसार AFIF साझेदारो को प्रशिक्षण किट चाहिये होंगे तो कार्यान्वियन करने वाली साझेदार संस्था सबसे पहले प्रशिक्षण सामग्री की पुरी किंमत ग्रीन अर्थ को भुगतान करेगा, उसके बाद ही ग्रीन अर्थ प्रा. लिमिटेड प्रशिक्षण सामग्री देंगी। न्यूनतम सामग्री कि संख्या सहायक ट्रस्ट कार्यान्वियन करने वाली साझेदार संस्था और ग्रीन अर्थ के बीच पारस्परिक रूप से तय होंगी।
5. यदी कार्यान्वियन करने वाली साझेदार संस्था साथी निर्धारित प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण किट के लिए पूरी राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो पहले "ग्रीन अर्थ ट्रेडिंग प्राइवेट" के नाम से पोस्ट डेटेड चेक जमा करके किट खरीद सकते हैं। यह पोस्ट डेटेड चेक प्रशिक्षण सामग्री खरीदने तारीख से 30 दिन अथवा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा होने के 3 कार्य दिन के भीतर (जो भी पहले हो) होगी ।
6. स्कूल और आश्रम शाला के लिये बीज यह किट के साथ सराहनीय तौर पर है और कीट का आवश्यक हिस्सा है । ताकी प्रशिक्षण के तुरंत बाद स्कुल जैविक पोषक परसबाग निर्माण का कार्य शुरू करें । जितना हो सके उतना पुरी तरह से देसी, परंपरागत और बेहतर किस्मों के बीज उपलब्ध किये है । भविष्य में बीज आपूर्ति करने के लिए, कार्यान्वियन करने वाली साझेदार संस्था को बीज संरक्षण और पालन करना है तथा इसका प्रचार करना है । आगे अगर साझेदार संस्था को बीज लेने होंगे तो उन्हें परंपरागत और उन्नत किस्मों के बीजों का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए।
7. उपरोक्त सभी किंमत ये परिवहन और बीमा और करो से मुक्त है, यदि भविष्य में लागू हो तो कार्यान्वियन करने वाली साझेदार संस्था से वसूला जाएगा।